1. कृत्रिम पैर/कैलीपर्स	:	2100/-
2. कृत्रिम हाथ	:	5100/-
3. तिपहिया साइकिल	:	6100/-
4. ह्वील चेयर	:	5100/-
5. श्रवण यंत्र	:	1100/-
6. पोलियो/करेक्टिव शल्य चिकित्सा	:	5100/-

भारत विकास परिषद् को दान की गई राशि आयकर अधिनियम की **धारा 80जी** में कर मुक्त है।

चैक/ड्राफ्ट **'भारत विकास परिषद'**, **(Bharat Vikas Parishad)** दिल्ली के नाम से देय होगा तथा निम्न पते पर भेजें-

भारत विकास परिषद्, भारत विकास भवन, बी, डी, ब्लॉक, पावर हाउस के पीछे, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

दूरभाष:- Ph.:011-27313051, 27316049

इमेल, :- bvp@bvpindia.com

वेबसाइट, :-www.bvpindia.com

परिषद् के विकलांग सहायता व पुनर्वास केन्द्र

1. **अहमदाबाद**-भारत विकास परिषद् विकलांग केन्द्र (पालदी सेवा ट्रस्ट) 22, जयदीप टावर बेसमेन्ट, निकट, धरनीधर डेरासर वसंत गजेन्द्रा गडकर ओवरब्रिज वासना, अहमदाबाद-380007
   फोन-26622257
2. **दिल्ली**-प्लॉट नं. 6ए, सुविधा केन्द्र-10, ताहिरपुर, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095 (निकट ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल एवं पूर्वी दिल्ली खेल परिसर के सामने)
   फोन-011-22596387, 22120559
3. **गुवाहाटी**-भारत विकास परिषद् विकलांग सहायता केन्द्र बासुराम योगमाया भवन, बिशनपुर मेन रोड, पो. गुवाहाटी-781001
   मोबा. 9435044241,
4. **हिसार**-विकलांग पुनर्वास केन्द्र, भारत विकास फाउण्डेशन, न्यू ऋषि नगर, नजदीक बस स्टैण्ड, हिसार-125001 (हरियाणा)
   फोन-01662-230451
5. **हैदराबाद**-भारत विकास परिषद् चैरिटेबिल ट्रस्ट, डा. सूरज प्रकाश सदन, 3-142, शांति नगर कूकातपल्ली, हैदराबाद-500072
   फोन-040-23068721, 23060733
6. **इन्दौर**-भारत विकास परिषद् सेवा न्यास, 19, रूपराम नगर, गुणवंतीदेवी नारायणदास कपूर भवन, इन्दौर-452004 (म.प्र.)
   फोन-0731-2467910
7. **कोटा**-भारत विकास परिषद्, पुनर्वास केन्द्र प्रताप नगर, दादावाड़ी, कोटा (राजस्थान)-324009
   फोन-0744-2501325 एक्स.-263
8. **लुधियाना**-भारत विकास परिषद् विकलांग सहायता एवं पुनर्वास केन्द्र (भारत विकास परिषद् चैरिटेबिल ट्रस्ट) 100-सी. ब्लाक ऋषि नगर, नजदीक टेलीफोन एक्सचेन्ज, लुधियाना-141001
   (पंजाब)फोन-0161-2555444
9. **मुरादाबाद**-भारत विकास परिषद् विकलांग सेवा न्यास, कमरा नं. 10, श्री साई अस्पताल, मानसरोवर-दिल्ली रोड, मुरादाबाद-244001
   फोन: 0591-2479800
10. **नगरोटा**-भारत विकास परिषद् विकलांग पुनर्वास संस्थान, उद्योग नगर, नगरोटा बागवां, जिला- कांगड़ा (हि.प्र.)
    फोन-01892-252329, 253520
11. **पटना**-भारत विकास विकलांग पुर्नवास केन्द्र एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, पहाड़ी, पटना-गया राष्ट्रीय उच्चमार्ग (मसौढ़ी रोड) पोस्ट-गुलजारबाग, पटना-7
    फोन-0612-6560186
12. **पुणे**-विकलांग पुनर्वसन केन्द्र, 1207, शुक्रवार पेठ, सुभाषनगर, रस्ता क्र. 3, डॉ. पाबळकर नर्सिंग होम, समोर, पुणे-411002
    फोन-020-24454102
13. **सांचोर**-भारत विकास परिषद् विकलांग सहायता एवं पुनर्वास केन्द्र, निकट बोधरा फार्म हाउस हारेचा रोड, सांचोर-343041 (जि. जालौर (राज)
    मोबाईल : 9314611140

Printed by : Yashika Printers # 9818383198 / June 2015

सम्पर्क ✦ सहयोग ✦ संस्कार ✦ सेवा ✦ समर्पण

भारत विकास परिषद्

Bharat Vikas Parishad

पीड़ित मानवता को समर्पित

DEDICATED TO SUFFERING HUMANITY

विकलांग सहायता

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गम् न पुनर्भवम् ! कामये दुःख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम् !

मुझे राज्य की चाह नहीं है, मुझे स्वर्ग या मोक्ष भी नहीं चाहिए सिर्फ इतना ही इच्छा है कि दुःख से पीड़ित लोगों के दुःख दूर करने का सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो।

भारत विकास परिषद् प्रकाशन

स्वस्थ-समर्थ-संस्कारित भारत ❖ Swasth-Samarth-Sanskarit Bharat

जीने का अधिकार उन्हें है, जो पीड़ित मानवता के लिए जीते हैं।

विकलांग सहायता

भारत विकास परिषद् ने भारतमाता एवं स्वामी विवेकानन्द के आदर्शों से प्रेरित होकर भारतीय दर्शन एवं जीवन-मूल्यों को केन्द्र बिन्दु मानकर सेवा और संस्कारों के विविध प्रकल्पों के माध्यम से देश के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया है। भारतीय जनमानस में भारतीय संस्कारों एवं आदर्शों के आधार पर रचनात्मक जन-आंदोलन का सृजन और समाज के निर्बल, निर्धन, एवं विपदाग्रस्त व्यक्तियों की सेवा का संकल्पित संगठन है।

भारत विकास परिषद् समाज के प्रबुद्ध, संभ्रान्त एवं बुद्धिजीवी वर्ग को संगठित करके उन्हें देश के विकलांग एवं निरक्षर वर्ग की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। देश एवं विदेश के 1250 शाखाओं के 55,000 परिवारों के माध्यम से अहर्निश देश की सेवा कर रहा है। सामाजिक संगठन के नाते भारत विकास परिषद् की मान्यता है कि हम समाज की सभी समस्याओं का निदान तो नहीं कर सकते हैं परन्तु एक भी समस्या का यदि निदान कर सकें तो बड़ी उपलब्धि होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर विकलांगता की समस्या को विशेष प्राथमिकता दी है। आज पूरे देश भर में राष्ट्रीय प्रकल्प के रूप में 13 विकलांग पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से प्रतिवर्ष औसतन लगभग 20,000 विकलांगों को लगभग 40 करोड़ की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं । हमारे द्वारा प्रदत्त सेवाएँ उपकार के रूप में नहीं होकर सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में सम्पादित की जाती हैं।

इसके अलावा भारत विकास परिषद् 1447 स्थायी प्रकल्पों का संचालन कर रही है। इन प्रकल्पों में विकलांग सहायता, विद्यालयों का संचालन, फिजियोथेरेपी केन्द्र अस्पताल, चल चिकित्सालय, गाँवों का समन्वित विकास, आदिवासी शिक्षण हेतु सहायता आदि हैं।

विकलांग सहायता की आवश्यकता :

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में 2.91 करोड़ विकलांग मौजूद हैं जो कुल जनसंख्या का 2% से अधिक है। यद्यपि विश्व बैंकों एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार यह संख्या विश्वसनीय है क्योंकि अविकसित या विकासशील देशों में विकलांगों की जनसंख्या 10.2% के लगभग है।

विभिन्न प्रकार की विकलांगता में 27.9% ऐसे विकलांग हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं। इसके अलावा रेल, मोटर आदि से दुर्घटना के कारण 40,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष अपंग हो जाते हैं।

कृत्रिम उपकरणों का निर्माण :

हमारे विकलांग पुनर्वास केन्द्र कृत्रिम अंगों एवं उसके भागों का निर्माण करने हेतु आधुनिकतम मशीनरी से लैस हैं । हमारे प्रशिक्षित तकनीशयनों ने इन अंगों की **विकास फुट** के नाम से नई पहचान दी है। यह देखने में सुन्दर तथा असली अंगों की तरह चलने, बैठने, दौड़ने, तैरने खेतों में काम करने, साईकिल, मोटरसाइकिल, कार चलाने जैसे समस्त कार्य कर सकता है।

पोलियो एवं करेक्टिव सर्जरी :

बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें चाहकर भी कृत्रिम उपकरण नहीं दे सकते क्योंकि उनकी विकृति को पहले ठीक करना आवश्यक होता है। इस हेतु हमारे विकलांग केन्द्रों पर पोलियो एवं करेक्टिव सर्जरी की मिलाकर कुल 3000 से 3500 सर्जरी कर पाते हैं।

पुनर्वास महती आवश्यकता :

विकलांग व्यक्ति अपने परिवार के साथ-साथ समाज के ऊपर भी बोझ बन जाता है तथा उपेक्षा का शिकार हो जाता है। अत: विकलांग व्यक्ति का सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास एक महत्वपूर्ण पहलू है। विकलांग को कृत्रिम अंग दे देना ही काफी नहीं है वरन् उन्हें प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाना है ताकि उनके मन में आत्मसम्मान का भाव पैदा हो तथा सम्मानजनक ढंग से जीविकोपार्जन कर सकें।

हमारे अनेक विकलांग केन्द्र हैं जो पुनर्वास हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों पर विकलांगों को रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे कम्प्यूटर, सिलाई, छपाई, मोमबत्ती, चाक, डस्टर आदि का निर्माण कार्य एवं इसी प्रकार की अन्य कारीगरी सिखाई जाती है। कार्यालयों, फैक्ट्रियों इत्यादि में इन्हें रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये केन्द्र विकलांगों के विवाहों का भी आयोजन करते है। विकलांग व्यक्ति सामान्य आदमी के 90 प्रतिशत कार्य कर सकता है। साथ ही वह औरों की अपेक्षा ज्यादा विश्वसनीय भी होता है। दैनन्दिन ऑफिस कार्यों के अधिकतम कार्य अन्य की अपेक्षा ज्यादा कुशलता से पूरा करता है। अत: यह भ्रम है कि विकलांग समाज के लिए अनुपयोगी हैं। बहुत सारे उद्योगपतियों ने अपने उद्योग में 70% से ज्यादा विकलांगों को नियुक्त कर रखा है और वे कार्यकुशलता की दृष्टि से ज्यादा सन्तुष्ट हैं।

भावी योजनाएँ :

हम एक विकलांग मुक्त ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें ये लोग सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से पूर्णरूपेण जुड़ सकें ताकि इनका जीवन समर्थ और सम्मानपूर्ण हों। अनेक राज्यों से शारीरिक विकलांगता बहुत हद तक दूर की जा चुकी है यथा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। भारत विकास परिषद्, ने भी संकल्प लिया है कि **"21वीं सदी का भारत; विकलांग मुक्त भारत"**। इस संकल्प को पूरा करने में पूरी तरह क्रियाशील भी है।

सहयोग :

आपका स्नेहिल सहयोग एक विकलांग के जीवन में आशा की किरण ला सकता है।